भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 569

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2013/18 अग्रहायण, 1935 (शक)

औद्योगिक मजदूरों हेतु श्रम कानून

569. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में आज की तिथि अनुसार कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि सहित इन श्रमिकों/मजदूरों की संरक्षा और कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इससे लाभान्वित मजदूरों और श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या विभिन्न संगठनों में ऐसे श्रमिकों और मजदूरों का सतत दोहन हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) औद्योगिक इकाई-वार कामगारों/श्रमिकों के आंकड़ों का केन्द्रीय स्तर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) इन कामगारों/श्रमिकों के लिए सुरक्षा एवं कल्याण को विभिन्न विधानों के अधिनियमन के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है जिसमें अन्य के साथ-साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 कारखाना अधिनियम,1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष में अक्तूबर,2013 तक भविष्य निधि, पेंशन और बीमा मामलों के निपटान के माध्यम से लाभान्वित कामगारों की राज्य-वार संख्या संबंधी विवरण अनुबंध-I पर है।

(घ) और (ङ.) औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अंतर्गत यथाउल्लिखित कामगारों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ऐसे कामगारों द्वारा विवाद मामले उठाए जा सकते हैं।

*****

अनुबंध- I

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना,श्री जय प्रकाश अग्रवाल और श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण द्वारा दिनांक 09.12.2013 को औद्योगिक मजदूरों हेतु श्रम कानून संबंधी उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 569 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष में (31.10.2013 तक) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के अंतर्गत लाभान्वित कामगारों की राज्य-वार संख्या

क्र.स.	राज्य	वर्ष 2010 -2011	वर्ष 2011-2012	वर्ष 2012-2013	मौजूदा वर्ष (31 अक्तूबर 2013 तक)
1	आंध्र प्रदेश	650481	733931	855802	530959
2	बिहार	20886	26770	37215	29124
3	छत्तीसगढ़	43684	62253	69746	49995
4	दिल्ली	507478	637319	827255	508760
5	गोवा	42760	59323	61055	40755
6	गुजरात	473906	596955	690340	459375
7	हरियाणा	471789	547429	752885	494456
8	हिमाचल प्रदेश	52041	70827	80587	58912
9	झारखंड	58188	73602	112296	74011
10	कर्नाटक	977102	1248215	1441346	904009
11	केरल	201324	244789	268219	174046
12	मध्य प्रदेश	158186	210569	249751	165193
13	महाराष्ट्र	1266945	1765430	2329647	1424064
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	31508	35503	42909	30974
15	ओडिशा	76403	105258	139365	98727
16	पंजाब	282173	338823	408549	261185
17	राजस्थान	162526	214251	240049	151177
18	तमिलनाडु	1078216	1215787	1422447	949949
19	उत्तर प्रदेश	332593	428855	492252	334265
20	उत्तरांचल	71842	98087	138683	91392
21	पश्चिम बंगाल	288280	335737	481500	350441
	कुल	**7248311**	**9049713**	**11141898**	**7181769**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 652

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2013/ 18 अग्रहायण, 1935 (शक)

ई0पी0एफ0 के अंतर्गत विशिष्ट संख्या

652. श्री के पी धनपालन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारियों को विशिष्ट कर्मचारी भविष्य निधि संख्या आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख) : 'विशिष्ट कर्मचारी भविष्य निधि संख्या उपलब्ध कराना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कम्प्यूटरीकरण के दूसरे चरण का भाग होगा।

(ग): इस प्रयोजनार्थ अब तक कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 589

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2013/18 अग्रहायण, 1935 (शक)

ईपीएफ का निवेश

589. श्री के. सुधाकरण:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोखिम रहित सतत प्रति लाभ सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कार्मिक निधि का बड़ा हिस्सा वर्तमान में सरकारी प्रतिभूतियों और संपूर्ण गारंटीकृत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रतिभूतियों में निवेश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निधि में से केवल परिभाषित पेंशन का भुगतान किया जाता है और 1.5 लाख करोड़ के लगभग वार्षिक जमा रकम रह जाती है जिससे पूल निधि का सृजन होता है;

(घ) क्या सरकार पूल निधि से पूंजी बाजार में नाम मात्र के निवेश की प्रायोगिक परियोजना भी आरम्भ करेगी और प्रायोगिक परियोजना के परिणामों के आधार पर भविष्य में विस्तार पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख) जी हां। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) तथा कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजनाओं को शामिल करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 4,73,145.59 करोड़ रूपये के अंकित मूल्य की निधि बिना जोखिम के स्थायी रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों तथा सम्प्रभुता - गारंटीशुदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों में निवेश की गई है:-

जारी 2/-

1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1,16,302.61
2	राज्य सरकार/राज्य की गारंटीशुदा प्रतिभूतियां	82,222.33
3	विशेष निक्षेप योजना	54,133.11
4	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान (निजी क्षेत्र के बांड्स सहित)	1,50,513.51
5.	*सार्वजनिक खाता*	69,974.03
	कुल	4,73,145.59

(ग) कर्मचारी पेंशन निधि एक पूल निधि है जिसके वित्तपोषण के निम्नलिखित दो स्रोत हैं:

i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6 की व्यवस्था के अनुसार पेंशन निधि के प्रत्येक सदस्य के 12% के नियोक्ता अंशदान में से वेतन, मंहगाई भत्ते तथा रिटेनिंग भत्ते के 8.33% का विपथन;

ii) केन्द्र सरकार भी कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्यों के वेतन (6500/- रूपये की वेतन सीमा तक) के 1.16% की दर से निधि में अंशदान देती है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 12 के उपबंध के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्यों/पेंशनभोगियों को पेंशन एवं निकासी लाभ का भुगतान किया जाता है तथा ऐसे सभी लाभों का भुगतान पूल कर्मचारी पेंशन निधि से किया जाता है।

(घ) और (ङ) निधि में निवेश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है। निवेश की विद्यमान पद्धति के अनुसार पूंजी बाजार में डेब्ट सेगमेंट में निवेश अनुमय है तथा इक्विटी में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 145

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/25 अग्रहायण, 1935 (शक)

श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया राशि

*145. श्री सोमेन मित्रा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में बन्द हो चुके चाय बागानों के श्रमिकों को भविष्य-निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में ऐसे बंद हो चुके चाय बागानों के श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया धनराशि कितनी है;

(घ) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में ऐसे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया राशि के बारे में श्री सोमेन मित्रा द्वारा 16.12.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 145 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): पश्चिम बंगाल सहित भारत में बंद चाय बागानों, जहां भविष्य निधि बकाया धनराशियों का भुगतान नहीं किया गया है, चूक की अवधि, आज की तारीख को विद्यमान बकाया राशि की मात्रा तथा इन कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए चाय बागानों में चूक सामान्यत: उनके कर्मचारियों के संबंध में अंशदान जमा न कराने के कारण है।

(ङ): चूककर्ता कंपनियों द्वारा अनुपालन की लगातार निगरानी की जाती है। जब कभी चूक का पता चलता है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत, देय राशियों की मात्रा का पता लगाने हेतु कार्रवाई की जाती है। एक बार देय राशियों की मात्रा का पता चल जाने पर, अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के तहत चूककर्ता कंपनियों से बकाया देय राशियों की वसूली हेतु कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में जिनमें कर्मचारियों का अंशदान काटा गया है किन्तु जमा नहीं किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत पुलिस प्राधिकारियों के पास चूककर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दायर की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं के विरूद्ध देय राशियां जमा नहीं करने और सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए अभियोजन भी शुरू किए जाते हैं। संपत्ति कुर्क करने, बैंक खाते कुर्क करने और चूककर्ताओं की गिरफतारी के लिए भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कंपनी परिसमाप्त हो जाए, तो बकाया धनराशि की वसूली हेतु सरकारी परिसमापक के समक्ष दावे दाखिल किए जाते हैं।

अनुबंध

श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया राशि के बारे में श्री सोमेन मित्रा द्वारा 16.12.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 145 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

1. देश में केवल दो चाय बागान है जो बंद है और जहां भविष्य निधि बकाया राशियों की अभी वसूली की जानी है। ये दोनों ही पश्चिम बंगाल राज्य में है।
2. **मैसर्स धेकलापारा टी एस्टेट, जलपाईगुड़ी (डब्ल्यूबी/819), के मामले में स्थिति निम्नानुसार है:**

- 28.08.1998 से 07.05.2002 तक के विभिन्न आदेशों के माध्यम से भविष्य निधि बाकाया अंशदान की कुल देय राशियां 78,13,973/- रुपये आंकी गई तथा इसमें 11/1990 से 11/2001 तक की अवधि शामिल थी।

- इन राशियों के निर्धारण के उपरांत, वसूली अधिकारी ने मांग संबंधी सूचना जारी करना, चल और अचल संपति की कुर्की का वारंट आदि जैसी सभी वसूली कार्रवाईयां शुरू की।
- चल संपत्ति 03.03.2000 को कुर्क की गई और अचल संपत्ति 19.09.2000 को तथा बाद में 06.11.2000 को कुर्क की गई।

- विभिन्न तारीखों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर की गई हैं और ऐसी अंतिम प्रथम सूचना रिपोर्ट 18.02.2002 को दायर की गई थी।

- प्रतिष्ठान 21.08.2002 को 03.07.2005 तक बंद कर दिया गया था। इसे पुनः 04.07.2005 को खोला गया और 11.03.2006 बंद कर दिया गया था।

- प्रतिष्ठान द्वारा विवरणियां 1996-1997 तक प्रस्तुत की गई थी।

- वसूली कार्रवाईयों के कारण, 01.08.2001 से प्रारंभ 14.02.2006 तक विभिन्न तारीखों को 11,57,094/- रुपये की धनराशि वसूली गई है।

- वारंट जारी करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परन्तु वास्तविक कारण बताओ नोटिस तामील नहीं किया जा सका क्योंकि नियोक्ता का कोई अता-पता नहीं था और नियोक्ता भाग गया है और प्रतिष्ठान बंद था।

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 27.09.2005 को इकसठ अभियोजन मामले स्वीकृत किए गए और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी के न्यायालय में 30.09.2005 को दाखिल किए गए थे। प्रतिष्ठान स्वीकृत अभियोजन के विरूद्ध माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में पहुंच गया।

- माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 02.07.2010 के निर्णय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दाखिल अभियोजन को निरस्त कर दिया।

- जिला अधिकारी, जलपाईगुड़ी से संपर्क साधने पर, 12.07.2013 को यह बात पता चली है कि प्रतिष्ठान माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में 1999 की सी.पी. संख्या 558 के द्वारा परिसमाप्त हो गया तथा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन आदेश 06.12.2006 को पारित किया गया था। देय राशियों आदि के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावे से संबंधित कागजात 12.12.2013 को सरकारी परिसमापक के कार्यालय को सौंप दिए गए हैं जिनमें 66,56,879/- रुपये की देय राशियां, 85,77,337/- रुपये का ब्याज और धारा 14ख के तहत 72,04,950/- रुपये का क्षतिभार निहित है।

3. **मैसर्स पोटोंग टी एस्टेट, जलपाईगुड़ी (डब्ल्यूबी/11738) के मामले में, स्थिति निम्नानुसार है:**

- प्रतिष्ठान 19.12.1996 को बंद हो गया था।

- प्रतिष्ठाने 1995-1996 तक विवरणियां प्रस्तुत की हैं।

- प्रतिष्ठान ने 20.12.1996 से स्थानीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करना शुरू किया और यह 31.10.2002 को पुन: बंद हो गया।

- अंशदान में 25,84,313/- रुपये की चूक है और इसमें 01/2001 से 09/2001 तक की अवधि शामिल है तथा सरकारी परिसमापक के पास दावा 07.06.2004 को दाखिल किया गया था।

- प्रतिष्ठान 1991 की सी.पी.संख्या 324 द्वारा परिसमाप्त हो गया। प्रतिष्ठान को समाप्त करने की तारीख 24.06.2002 थी।

- दावा, 09/2001 तक देय राशियों को कवर करते हुए सरकारी परिसमापक के पास 07.06.2004 को दाखिल किया गया था।

- 23,61,704/- रुपये की धनराशि सरकारी परिसमापक से 11.03.2011 को वसूल कर ली गई थी।

- सरकारी परिसमापक के पास 22.02.2013 को एक और दावा दाखिल किया गया जिसमें 2,22,609/- रुपये की बकाया देय धनराशियां, 12,46,875/- रुपये का ब्याज और धारा 14ख के तहत 27,44,449/- रुपये का क्षतिभार शामिल है जिसका कुल योग 42,13,933/- रुपये हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 149

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/25 अग्रहायण, 1935 (शक)

निजी सुरक्षा सेवा

*149. श्री पूर्णमासी राम:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी सुरक्षा सेवा संगठन कामगारों और सुरक्षा गार्डों का शोषण कर रहे हैं तथा उनकी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से धन दिए जाने में तथाकथित अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी कंपनियां श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करती पाई गई; और

(ग) उन दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

निजी सुरक्षा सेवा के बारे में श्री पूर्णमासी राम द्वारा 16.12.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 149 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत धनप्रेषण में निजी सुरक्षा संगठनों द्वारा चूक के कुछ दृष्टांत सामने आए हैं।

(ख): निजी सुरक्षा कंपनियों पर श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। अतः, ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता। ऐसी कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघनों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध – I और – II पर है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई में देय राशियों का आकलन (धारा 7क), देय राशियों को देर से जमा करने हेतु क्षतिभार लगाना (धारा 14ख), देर से धनप्रेषण हेतु ब्याज लगाना (धारा 7थ), वसूली कार्रवाई (धारा 8ख से 8छ), चूककर्त्ताओं के विरूद्ध अभियोजन दायर करना (धारा 14) और मजदूरी से काटे गए कर्मचारियों के अंशदान को प्रेषित नहीं करने हेतु कार्रवाई (भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409) शामिल है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई में अंशदान/देय राशियों का अभिनिर्धारण और उनकी वसूली (धारा 45) तथा नियोक्ताओं की ओर से चूक हेतु अभियोजन (धारा 85) शामिल है।

अनुबंध-I

निजी सुरक्षा सेवा के बारे में श्री पूर्णमासी राम द्वारा 16.12.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 149 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सुरक्षा सेवा संगठनों की संख्या			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	आंध्र प्रदेश	56	41	47	61
2	बिहार	03	27	05	31
3	छत्तीसगढ़	01	02	05	07
4	दिल्ली	25	07	13	10
5	गोवा	06	04	02	03
6	गुजरात	31	27	16	36
7	हरियाणा	31	18	15	25
8	हिमाचल प्रदेश	06	0	0	26
9	झारखण्ड	08	07	07	Nil
10	कर्नाटक	30	34	22	64
11	केरल	20	27	17	07
12	मध्य प्रदेश	35	20	11	15
13	महाराष्ट्र	32	16	54	16
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	0	0	13
15	ओडिशा	03	03	03	64
16	पंजाब	04	09	16	21
17	राजस्थान	22	16	15	09
18	तमिलनाडु	102	72	56	284
19	उत्तर प्रदेश	59	42	53	41
20	उत्तराखण्ड	08	01	01	02
21	पश्चिम बंगाल	06	19	36	28
	कुल	**488**	**392**	**394**	**763**

* 30 नवम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार

अनुबंध-II

निजी सुरक्षा सेवा के बारे में श्री पूर्णमासी राम द्वारा 16.12.2013 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 149 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सुरक्षा सेवा संगठनों की संख्या			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1.	आंध्र प्रदेश	06	01	499	530
2.	असम	04	07	06	02
3.	बिहार	00	01	02	03
4.	छत्तीसगढ़	100	115	145	156
5.	दिल्ली	14	31	27	14
6.	गोवा	06	14	17	03
7.	गुजरात	47	23	10	01
8.	हरियाणा	14	22	60	17
9.	हिमाचल प्रदेश	02	00	00	00
10.	झारखण्ड	00	00	00	00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	00	00	00	00
12.	केरल	00	01	02	00
13.	कर्नाटक	19	24	20	11
14.	मध्य प्रदेश	00	00	00	00
15.	महाराष्ट्र	123	88	103	140
16.	ओडिशा	01	02	29	17
17.	पंजाब	25	00	00	00
18.	राजस्थान	02	19	18	20
19.	तमिलनाडु	71	144	278	91
20.	पुदुचेरी	03	04	08	11
21.	उत्तर प्रदेश	08	14	31	30
22.	उत्तराखण्ड	15	01	02	43
23.	पश्चिम बंगाल	01	07	12	19
	कुल	461	518	1269	1108

* 31 अगस्त, 2013 की स्थिति के अनुसार

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1749

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/25 अग्रहायण, 1935 (शक)

ई.पी.एफ. का बकाया

1749. श्री के. सुधाकरण:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की बहुत भारी बकाया धनराशि जमा होकर 4238.00 करोड़ रु. हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस भारी जमा हेतु मुख्य कारण ईपीएफओ द्वारा भविष्य निधि के बकाये की वसूली की धीमी प्रक्रिया पर विशेषकर न्यायालयों द्वारा आदेशित अर्थदण्डों के संग्रहण में ढिलाई बरतना तथा दोषी नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त स्थगनादेशों को निष्प्रभावी करने हेतु कदम उठाने के संबंध में शिथिलता बरतना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 4093.48 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में उल्लिखित कार्रवाई बकायों की वसूली हेतु की जाती है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान 1,441.43 करोड़ रूपये राशि की वसूली हुई है।

(ग) भविष्य निधि देय राशि की वसूली की धीमी प्रक्रिया का मुख्य कारण न्यायालयों तथा ईपीएफ अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी स्थगन, परिसमापित हुए प्रतिष्ठान तथा पुनर्वास पैकेज हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास आने वाली बीमार कम्पनियां हैं।

(घ) एक सुधारात्मक उपाय के रूप में ईपीएफओ ने वसूली डोजियरों की नियमित समीक्षा करने, अभियोजन दायर करने, पुलिस प्राधिकरणों में एफआईआर दायर करना, लगाए गए स्थगन आदेशों को हटाने हेतु समुचित न्यायालयों के समक्ष याचिका दायर करना तथा बकायों की वसूली हेतु भविष्य निधि मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष न्यायालय/बैंच गठित करने के लिए उच्च न्यायालयों से अनुरोध करने के फील्ड कार्यालयों को निदेश दिए हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1754

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/ 25 अग्रहायण, 1935 (शक)

कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान न करना

1754. श्री एम आनंदन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विभागों को ठेका-कामगारों की आपूर्ति करने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियां अपने कामगारों को वेतन न देने और भविष्य निधि का भुगतान न करने के आरोप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) की निगाह में आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बड़ी संख्या में ठेका-कामगारों को रखते हैं और उन्हें भविष्य निधि का भुगतान करने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की बनती है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसका वास्तविक अनुपालन केन्द्र और राज्य-स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): भविष्य निधि देयों के प्रेषित धन में निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों के चूक करने के कुछ दृष्टांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) की निगाह में आए हैं।

(ख): ईपीएफओ में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार कुल 16000 से अधिक निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों में से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली ऐसी 763 स्थापनाओं की रिपोर्ट की गई है।

(ग): अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकार आउटसोर्स मोड के माध्यम से पर्याप्त संख्या में कामगारों को नियोजित करती है। वे प्रधान नियोक्ता होने के नाते कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 30 के अनुसार इन ठेका कामगारों के संबंध में भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(घ): केन्द्र और राज्यों दोनों के सरकारी विभागों द्वारा इन कामगारों को भविष्य निधि का भुगतान न करने का कोई विशेष दृष्टांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निगाह में नहीं आया है।

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यालयी वेबसाइट में में प्रावधान किए गए हैं जिससे केन्द्र और राज्यों दोनों के विभिन्न सरकारी विभागों सहित प्रधान नियोक्ता द्वारा कार्यबद्ध की गयी निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा किए गए भविष्य निधि के भुगतान की जांच कर सकते हैं।

अपने कामगारों को भविष्य निधि के लाभों का भुगतान करने में असफल होने वाली भूल करने वाली निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाइयां की जाती हैं।

1. देयों के निर्धारण के लिए चूककर्ता स्थापनाओं के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

2. विलंब से जमा किए गए देयों पर हर्जाना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

3. विलंब से भेजे गए धन पर ब्याज लगाने के लिए अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

4. अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत यथा व्यवस्थित वसूली कार्रवाईयां की जाती हैं।

5. सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

6. कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए लेकिन निधि में जमा न किए गए कर्मचारियों के अंशदान के भाग का भुगतान न करने के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1775

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2013/ 25 अग्रहायण, 1935 (शक)

ई एस आई सी सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु

न्यूनतम पेंशन

1775. **श्री पी लिंगम:**
श्री पी सी गद्दीगौदर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री मधुसूदन यादव:
श्री पी आर नटराजन:
श्री अशोक तंवर:
श्री पी कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) लाभार्थियों के सदस्य, जिन्हें पेंशन लाभ दिए गए हैं, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार या प्रस्ताव सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कर्मचारियों सहित कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यों को पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त निधि पर ब्याज दर बढ़ाने की भी कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) कर्मचारी पेंशन स्कीम(ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले हितलाभों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

i) सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता पर सदस्य पेंशन।

ii) सेवा में रहते हुए अपंगता होने पर सदस्य पेंशन।

iii) 10 वर्ष से कम और छह माह से अधिक सेवा करने के बाद सेवा छोड़ने पर हितलाभ की वापसी।

iv) सदस्य की मृत्यु होने पर विवाहिता पेंशन।

v) पेंशनभोगी के रूप में सदस्य की मृत्यु होने पर विवाहिता पेंशन।

vi) एक समय पर दो बच्चों के लिए विवाहिता पेंशन सहित संतान पेंशन (25 वर्ष की आयु तक)।

vii) विवाहिता की मृत्यु या दूसरा विवाह होने पर अनाथ पेंशन (25 वर्ष की आयु तक)।

viii) बच्चों/अनाथों के लिए नि:शक्तता बाल पेंशन (आजीवन)।

ix) कोई परिवार न होने पर नामिती हेतु नामिति पेंशन।

x) कोई परिवार या नामिती न होने पर आश्रित माता-पिता पेंशन।

(ख) और (ग) कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य पेंशनभोगियों को 1,000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित है।

(घ) और (ङ) निधि पर ब्याज की दर कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 60(4) के अनुसार निर्धारित की जाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निधियों पर बेहतर प्रतिफल के लिए 21.11.2013 को नया निवेश स्वरुप अधिसूचित किया है।

****